कार्यालय मुख्य अद्विन पत्राकः न–20/असुव्य (*[33*)/22–23

अधिकारी देहरादून। दिनांकः फरवरी 🖟 , 2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक (रिषम एजुकेशनल ट्रस्ट) तुलाज इंटरनेशनल स्कूल (RISHABH EDUCATION TRUST) TULA'S INTERNATIONAL SCHOOL धूलकोट, सेलाकुई जनपद—देहरादून।

शमन

सन्दर्भ:-

अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 62149414 दिनांक 12.02.2022 के सम्बन्ध में।

आपके शिक्षण भवन का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रमारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 15-02-2022 में आपके शिक्षण भवन में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 15-02-2022 के आधार पर आपके शिक्षण भवन हेतु उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 16, -02-2022 से 15 -02-2025 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र / Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

* unperly books to be books to

(आर७ एमळे खाती) मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून।